भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3877
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- यवतमाल के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

3877. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि यवतमाल जिले को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त घोषित किए जाने और इसकी 'आणेवारी' 50 प्रतिशत से कम होने के बावजूद, खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लाभ अभी तक नहीं मिले हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य में संवितरित फसल बीमा के संबंध में, अकेले यवतमाल जिले के प्रभावित किसान ही उक्त योजना के लाभ से वंचित हैं और यदि हां, तो उक्त भेदभावपूर्ण कार्रवाई के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार यवतमाल जिले के किसानों की गंभीर स्थिति पर विचार कर रही है और फसल बीमा कंपनियों के विरुद्ध तत्काल जांच के निर्देश देगी; और

(घ) क्या अनुपूरक मांगों के माध्यम से उक्त सूखाग्रस्त किसानों को खरीफ फसल बीमा का तत्काल मुआवजा सुनिश्चित किया जाएगा?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क (एवं) ख:(महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)PMFBY) के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए यवतमाल जिले में कुल 506.75 लाख रुपये के दावों में से 491.97 लाख रुपये के दावों का भुगतान पात्र किसानों को कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) PMFBY) के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, दावों का निर्धारण योजना के परिचालन दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार तय किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 24.06.2025 को एक प्रस्ताव जारी कर यह स्पष्ट किया है कि' पैसेवारी'/'आनेवारी', सूखा, अकाल अथवा बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा घोषित आंकड़ों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) PMFBY) के अंतर्गत दावों की गणना के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा।

(ग): PMFBY के प्रावधानों के अनुसार, दावों की गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल) NCIP) के‘ डिजीक्लेम ’ मॉड्यूल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपज आंकड़ों तथा प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली (यसटेक) के अंतर्गत प्राप्त तकनीकी उपज आंकड़ों के आधार पर की जाती है। बीमा कंपनियों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल) NCIP) पर दावों की गणना पूर्ण होने तथा प्रीमियम सब्सिडी की राशि प्राप्त होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर बीमा दावों का निपटान करना आवश्यक है। उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के अनुसार भुगतान न किए जाने की स्थिति में, खरीफ 2024 सीजन से, 12% की जुर्माना राशि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल) NCIP) के माध्यम से स्वतः गणना कर लगाई जाती है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।
